प्रधान कार्यालय,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी विवरण।

चयन वर्ष 2011–12

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 09.11.2011 (पताका–1) को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक अधिकरी ग्रेड–1 के 13 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 09 पद सामान्य संवर्ग, 03 पद अनुसूचित जाति वर्ग तथा 01 पद अनुसूचित जनजाति का पद बनता है। सामान्य संवर्ग के 09 पदों के विरूद्ध 01 कार्मिक कार्यरत है तथा 08 पद रिक्त है। अनुसूचित जाति वर्ग के 03 पदों के विरूद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 03 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति के 01 पद के विरूद्ध कोई कर्मी कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त हैं।

सामान्य संवर्ग के 08 रिक्त पदों के विरूद्ध चयन समिति द्वारा 02 कार्मिक क्रमशः श्री देव सिंह बल्दिया एवं श्रीमती रामेश्वरी रौतेला को उपयुक्त पाते हुए चयन किया गया है, किन्तु गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये जाने हैं। उक्त कार्मिकों के अनुकूल गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार कुल सामान्य संवर्ग 06, अनुसचित जाति वर्ग में 03 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में 01 पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने है।

कृपया चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुक्रम मे क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के रिक्त पदो के सापेक्ष निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती की जानी समीचीन होगी :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सामान्य संवर्ग :–				
01	रवीन्द्र प्रसाद जोशी	श्री मोहन चन्द्र जोशी	नि0शा0, पिथौरागढ	नि0 मण्डल, पिथौरागढ़	स्थानीय
02	सुभाष सिंह खनका	श्री हीरा सिंह खनका	नि0शा0, कोटद्वार (सम्बद्ध नि0विंग हल्द्वानी)	मु0अभि0(कु0), नैनीताल	जनहित
03	बसन्त बल्लभ पाण्डे	श्री बी0डी0 पाण्डे	नि0शा0, चम्पावत	नि0 मण्डल, अल्मोड़ा	जनहित
04	भिलेश्वर प्रसाद बडोनी	स्व0 श्री पिताम्बर दत्त बडोनी	नि0शा0, नई टिहरी	नि0 मण्डल, नई टिहरी	स्थानीय
05	जगदीश चन्द्र बर्मा	श्री किशोरी लाल बर्मा	नि0शा0, उधमसिंहनगर	नि0 मण्डल, पौड़ी	जनहित
06	प्रकाश चन्द्र लोहनी	स्व0 श्री प्रेम बल्लभ लोहनी	नि0शा0, बागेश्वर	नि0 मण्डल, नैनीताल	जनहित
	अनुसूचित जाति वर्ग :–				
01	चिरंजी लाल	श्री मन्नू	यांत्रिक शा0, हल्द्वानी	यां0 मण्डल, देहरादून	जनहित
02	नरेन्द्र कुमार	श्री किशोरी लाल	नि0शा0, हरिद्वार	नि0 मण्डल, देहरादून	जनहित
03	भूपाल राम	श्री देवराम	नि0शा0, भिकियासेन	यां0 मण्डल, हल्द्वानी	जनहित
	अनुसूचित जनजाति वर्ग :–				
01	बलवन्त सिंह राणा	श्री प्रसाद सिंह राणा	नि0शा0, देवप्रयाग	मु0अभि0(गढ़0), पौड़ी	जनहित

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनाँक 21/11/2011 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नही है, उक्त दिनाँक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त पदोन्नत जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा। स्थानीय पदोन्नति/तैनाती किये गये कार्मिकों को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नही होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

11/11/11

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

11/11/11

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

11/11/11

P.T.O.

प्रबन्ध निदेशक महोदय

अनुमोदित

[signature]
11/XI

मुख्य अभियन्ता (मुख्या)

कृ आवश्यक कार्यवाही हेतु

[signature]
01/XII/11

महाप्रबन्धक (प्रशा/सौकरन)

उक्त वर्ष में कार्यभार ग्रहण की तिथि 21/11/11 प्रस्तावित की गयी थी। मर्तियों की रहमाई के कारण उक्त कार्यालय खाल नहीं हो सका। अतः इनका कार्यभार ग्रहण करने की परिवर्तित तिथि 1/12/11 किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे ताकि तदनुसार कार्यालय खोल किराये लिया जा सके।

[signature]
5/12/11

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रस्ताव अनुमोदित

[signature]
5/12/11

(2)

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनॉक 09.11.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (पताका–1) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या 2648/अधि0अनु0– प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1/39, दिनॉक 05.12.2011 (पताका–2) निर्गत किये गये हैं।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–05 पर अंकित श्री जगदीश चन्द्र वर्मा एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–01 पर अंकित श्री चिरंजी लाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 द्वारा निर्धारित तिथि 15.12.2011 में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तथा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति फारगो कर दी गयी है, जिस कारण प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के 02 पद रिक्त हो गये हैं, जिन्हें दिनॉक 09.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक में चयनित कार्मिकों के माध्यम से पदोन्नति उपरान्त प्रतिपूर्ति की जानी है।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 09.12.2010 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या–3 में सामान्य वर्ग के क्रमांक–07 के पात्रता क्रमांक 10 पर अंकित श्री प्रथम सिंह बर्तवाल एवं अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमांक–08 के पात्रता क्रमांक–04 पर अंकित श्री मक्खन लाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की वरिष्ठता क्रम में 25 प्रतिशत् अतिरिक्त पैनल के रूप में उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया है:–

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्मिकों की प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के निकटतम रिक्त पदों पर पदोन्नति कार्य/जनहित में उपरान्त तैनाती की जानी समीचीन होगी।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सामान्य संवर्ग :–				
01	प्रथम सिंह बर्तवाल	श्री शिवराज सिंह बर्तवाल	निर्माण शाखा, उत्तरकाशी	यांत्रिक मण्डल, देहरादून	जनहित
	अनुसूचित जाति वर्ग :–				
01	मक्खन लाल	श्री दयाली राम	निर्माण शाखा, गोपेश्वर	निर्माण मण्डल, गोपेश्वर	स्थानीय

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया उक्त का अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है।

20/12/11
मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

19/12/11
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)
19/12/11

अनुमोदित

महाप्रबन्धक (प्रशा0)

20/12/11

"टिप्पणी एवं आदेश"

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर कार्यालय ज्ञाप संख्या–2648/अधि0अनु0–प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1/39 दिनांक 05.12.2011 **(पताका–1)** के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप के सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–5 पर अंकित श्री जगदीश चन्द्र वर्मा एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–01 पर अंकित श्री चिरंजी लाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 द्वारा पदोन्नति फारगो किये जाने के कारण रिक्त 02 पदों पर दिनांक 09.11.2011 को आहूत चयन समिति द्वारा वरिष्ठता क्रम में चयनित कार्मिकों की पदोन्नति कार्यालय ज्ञाप संख्या 2785/अधि0अनु0–प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1/42, दिनांक 20.12.2011 **(पताका–2)** के द्वारा की गयी है।

दिनाँक 09.11.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(पताका–3)** के पृष्ठ संख्या–3 के बिन्दु संख्या–7 के अन्तर्गत पात्रता सूची के क्रमांक–09 पर अंकित श्री प्रताप सिंह बिष्ट, पुत्र श्री धन सिंह बिष्ट के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच प्रचलित होने के कारण उक्त कार्मिक का 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल के रूप में चयन इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया था कि अनुशासनिक जॉच पर सक्षम अधिकारी से अनुकूल निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त ही पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी, तब तक चयन समिति का निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया है। क्रमांक–10 पर अंकित प्रथम सिंह बर्तवाल, पुत्र श्री शिवराम सिंह बर्तवाल को 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल के रूप में उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया, जिनकी पदोन्नति रिक्त पद के विरूद्ध की जा चुकी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधान कार्यालय, देहरादून के ज्ञाप संख्या 105/प्र0नि0 कैम्प–गो0जॉ0 अल्मोड़ा मण्डल (मयूली पे0यो0)/12, दिनॉक 18.04.2012 **(पताका–4)** के द्वारा श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 को उन पर लगाये गये आरोपों को सक्षम अधिकारी द्वारा विलुप्त करते हुए दोषमुक्त किया जा चुका है। दोषमुक्त किये जाने के कारण श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 पदोन्नति हेतु पात्र हो गये हैं, जिस कारण उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिनॉक शून्य जो कि अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा के पत्रांक 189/अधि0–5/5, दिनॉक 21.05.2012 **(पताका–5)** के माध्यम से प्राप्त हुआ है, के द्वारा पदोन्नति हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 पर की जानी समीचीन होगी।

उल्लेखनीय है कि श्री सुभाष सिंह खनका, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 दिनॉक 29.02.2012 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गये हैं, जिस कारण वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 का 01 पद रिक्त हो गया है। अतः उक्त रिक्त पद के विरूद्ध श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 पदोन्नति उपरान्त तैनाती निम्नानुसार कार्यालय में की जानी समीचीन होगी, ताकि रिक्त पद को भारित किया जा सके:–

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	04	05
01.	09	श्री प्रताप सिंह बिष्ट, पुत्र श्री धन सिंह बिष्ट	निर्माण शाखा, अल्मोड़ा	मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), नैनीताल	जनहित

उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण/तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं यात्राकाल देय होगा।

उक्त कार्मिक को अपने पदोन्नत कार्यालय मे दिनॉक 31.05.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं है। उक्त दिनॉक के पश्चात् पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा मे निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण)

नियमों के अनुसार, बन्द लिफाफा खुलने पर एवं दोष मुक्त किये जाने पर पदोन्नति किस तिथि से देय होगी, यह अनुमोदन के प्रस्ताव तथा अनुमोदन में स्पष्ट किया जाना चाहिये था। अब यह स्पष्ट करते हुये पदोन्नति/तैनाती आदेश में, इसका उल्लेख करते हुये तथा यथा संशोधित स्वच्छ आलेख के साथ पुनः प्रस्तुत करें।

15/06/12

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

14/6/12

महाप्रबन्धक (प्रशा / सेवा)

"टिप्पणी एवं आदेश"

कृपया पत्रावली के बॉयी ओर पृष्ठ संख्या–5 में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दी गयी टिप्पणी के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के विरुद्ध जॉच प्रकरण प्रचलित होने के कारण दिनॉक 09.11.2011 को चयन समिति द्वारा निर्णय लिफाफे में बन्द किया गया था, जिस कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल के रूप में चयनित उनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री प्रथम सिंह बर्तवाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 2785/अधि0अनु0– प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1/42, दिनॉक 20.12.2011 के द्वारा की जा चुकी है।

श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के विरुद्ध चल रही प्रशासनिक जॉच के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय, देहरादून के ज्ञाप संख्या 105/प्र0नि0कैम्प–गो0जॉ0 अल्मोड़ा मण्डल (मयूली पै0यो0)/12, दिनॉक 18.04.2012 के द्वारा श्री प्रताप सिंह बिष्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है।

शासनादेश संख्या 1595/कार्मिक–2/2002, दिनॉक 13.05.2003 (फ्ताका–क) के बिन्दु संख्या–7(क) के सन्दर्भ में **"ऐसे मामले में यदि लिफाफा में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे सन्दर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उससे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से प्रोन्नत माना जायेगा और तदानुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे,"** का प्राविधान है।

अतः उक्त शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 को उनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री प्रथम सिंह बर्तवाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 (वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1) की पदोन्नति तिथि दिनॉक 20.12.2011 से नोशनल रूप से प्रोन्नत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने समीचीन होंगे।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

14/6/12
महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण)
15/6/12

15/6/12
मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

14/06/12

चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 वेतनमान रू0 5500–175–9000 (नया वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड–पे 4200) में रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक हेतु एजेण्डा नोट :–

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ–2(12अधि0)/2001, दिनॉक 07.11.2002 (पताका–1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002 दिनॉक 12.12.2006 (पताका–2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त ढाँचे में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के वेतनमान रू0 5500–175–9000 (नया वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड–पे 4200) में 13 पद स्वीकृत किये गये हैं।

2. विभाग में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के कुल स्वीकृत 13 पदों के विरूद्व सामान्य संवर्ग में 09 पदों के सापेक्ष 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 08 पद रिक्त हैं। कुल स्वीकृत 13 पदों के विरूद्व 19 प्रतिशत् आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 03 पदों के सापेक्ष कोई कर्मी कार्यरत नहीं हैं तथा 03 पद रिक्त हैं, एवं 04 प्रतिशत् आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति का रोस्टर के अनुसार 01 पद बनता है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 का 01 पद रिक्त है।

चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत दिनॉक 30.06.2012 तक कोई पद रिक्त नहीं होगा। अतः सामान्य संवर्ग में 08 पद तथा अनुसूचित जाति के 03 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 01 पद होंगे। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के कुल 12 पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :–</u>

क्र0 सं0	विवरण	कुल	सामान्य	अनु0जाति	अनु0जन जाति
01	स्वीकृत पद	13	09	03	01
02	कार्यरत	01	01	00	00
03	रिक्त	12	08	03	01
04	दिनॉक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 का विवरण	00	00	00	00
	योग (कुल रिक्त पद)	12	08	03	01

<u>नियुक्ति का श्रोत :–</u>

संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त शासनादेश संख्या 457/उन्तीस(1)/2010–(35अधि0)/07, दिनॉक 17.05.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 अनुमोदित की गयी है, जो प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग – प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनॉक 21.05.2010 (पताका–3) के द्वारा प्रसारित की गयी है। अतः उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के अधीन प्रश्नगत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 परिशिष्ट–(1) लिपिकीय सेवा के क्रमांक–05 (पताका–4) के अनुरूप मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 जिन्होंने संवर्ग में कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है।

<u>वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियो की सूची :–</u>

राज्य अधीन सेवा में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1194/42–1–2000–13/15/91, दिनॉक 19 मई, 2001 (पताका–5) के प्रस्तर–5 में उल्लेखित श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर आयोजित चयनों के लिए, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़ कर ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठता पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था हैं, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की गई है।

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5
(2) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़गना किन्तु कम से कम 10

प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2451/अधि0अनु0–अधि0 च0श्रे0कर्म0/19, दिनॉक 08.11.2010 (संलग्नक–6) अधिष्ठापित कार्यालयों में पदों का विभाजन।

उक्तानुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद पर सामान्य वर्ग एवं आरक्षित संवर्ग के अन्तर्गत वांछित सूची निम्नानुसार है :–

(क) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की वरिष्ठता सूची (पताका–7)
(ख) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की कार्यरत सूची (पताका–8)
(ग) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की कार्यरत सूची (पताका–9)
(घ) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (पताका–10)

<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण :–</u>

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/का–2/2001 53(1)/2001 दिनॉक 18 जुलाई, 2001 (पताका–11) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001 (पताका–12) के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के कुल 13 स्वीकृत पद के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 03 पदों के सापेक्ष कोई कार्मिक कार्यरत नहीं हैं, अतः 03 पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति का 01 पद बनता है, जिस पर कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, अतः 01 पद रिक्त है।

<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–</u>

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के विनियम–18 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया है :–

18 (1) – सेवा में लिपिकीय सेवा में पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक)	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून	– अध्यक्ष
(दो)	महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), देहरादून	– सदस्य
(तीन)	महाप्रबन्धक (प्रशासन), देहरादून	– सदस्य
(चार)	अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), देहरादून	– सदस्य सचिव

(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई – सदस्य अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़ी जाति से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम न हो अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

टिप्पणी :– वर्तमान में उक्त क्रमांक–4 पर अंकित अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक) से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन अधिशासी अभियन्ता (विधि / शिकायत) द्वारा देखा जा रहा है।

18 (2) :– नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चारित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

18 (3) :– चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

18 (4) :– चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

पदोन्नति के लिए मापदण्ड :–

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

टिप्पणी :–

1. चयन समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अनिवार्य है।
2. चयन समिति उन सभी अभ्यर्थियों, जो पदोन्नति के पात्र हैं, के मामले में उनके गोपनीय प्रतिवेदन तथा ज्येष्ठता सूची में उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए उच्च पद जिसके लिए वह अभ्यर्थी हैं, पर नियुक्ति हेतु विचार करेंगे।
3. चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा इस सूची के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियाँ की जायेगी। यह सूची चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत (दिनॉक 01.07.2011 से 30.06.2012 तक) मान्य होगी।

विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रही हैं। कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनॉक 08.07.2009 (पताका–13) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली–2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनॉक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

चयन वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत दिनॉक 24.09.2010 को प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय चयन समिति का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। (पताका–14)

(i) पात्र अभ्यर्थियों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रविष्टियों का विवरण (पताका–15)

(ii) पात्र अभ्यर्थियों के सेवा अवधि का विवरण (पताका–16)

(iii) पात्र अभ्यर्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच प्रचलित होने अथवा न होने सम्बन्धी विवरण (पताका–17)।

चयन वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 09/11/2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2(92 अधि0)/2002 दिनाँक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) में 13 पद स्वीकृत किये गये हैं। विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे में वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर 01 प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 कार्यरत है। अतः कुल 12 पद रिक्त हैं। इन रिक्त 12 पदों के विरूद्ध 08 पद सामान्य संवर्ग के, 03 पद अनुसूचित जाति वर्ग में तथा 01 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग का रिक्त है।

वर्तमान में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के पद से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं0 321/मु0अ0(मु0) गो0अधि0 सामान्य/ दिनाँक 08/11/2011 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री वाई0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। – अध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उ0पे0 निगम, देहरादून। – सदस्य
3. श्री बी0सी0 गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उ0पे0 निगम, देहरादून। – सदस्य
4. श्री पी0के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उ0पे0 निगम, देहरादून। – सदस्य सचिव

चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया :–

1. कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 की सूची।
2. कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की सूची।
3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की वरिष्ठता सूची–2011
4. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची।
5. पात्र अभ्यर्थियों का सेवा विवरण।
6. पात्र समस्त प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के गत 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि एवं मूल्यांकन का सार।
7. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के विरूद्ध अनुशासनिक/प्रशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
8. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिपिकीय सेवा विनियमावली–2010 जो कार्यालय ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग–प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनाँक 21.05.2010 के द्वारा प्रसारित है, के विनियम पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–18 के उपनियम–1 से 4 में।

9/11 9/11/11 09/11/11

9. ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धित उत्तरांखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 479/XXX(2) 2009-3(1)/2007, दिनॉक 08 जुलाई 2009
10. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1144/कार्मिक-2/2001-53 (1)/2001 दिनॉक 18.07.2001
11. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक-2/2001 दिनॉक 31.08.2001
12. प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2451/अधि0अनु0-अधि0 च0श्रे0कर्म0/19, दिनॉक 08.11.2010 अधिष्ठापित कार्यालयों में पदों का विभाजन।

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी :-

1. पात्रता सूची के सामान्य संवर्ग के क्रमांक-01 से 08 पर निम्नानुसार वरिष्ठता में अंकित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 उपयुक्त पाये गये एवं चयन कर पदोन्नति हेतु संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि क्रमांक-05 एवं 06 पर उल्लेखित कार्मिकों की वर्ष 2009-10 के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण उनका चयन इनके उक्त अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन के अनुरूप होगा। अर्थात् यदि गोपनीय प्रतिवेदन रिपोर्ट असन्तोषजनक नहीं होगी तो कार्मिक चयनित माने जायेंगे। इनके पदोन्नति आदेश तदानुसार ही निर्गत किये जायेंगे।

क्रमांक	कार्मिकों का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	रोस्टर क्रमांक
	सामान्य संवर्ग :-		
01	रवीन्द्र प्रसाद जोशी	श्री मोहन चन्द जोशी	39
02	सुभाष सिंह खनका	श्री हीरा सिंह खनका	40
03	बसन्त बल्लभ पाण्डे	श्री बी0डी0 पाण्डे	42
04	भिलेश्वर प्रसाद बडोनी	स्व0 श्री पिताम्बर दत्त बडोनी	43
05	देव सिंह बल्दिया	श्री हीरा सिंह	44
06	श्रीमती रामेश्वरी रौतेला	श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला	45
07	जगदीश चन्द्र वर्मा	श्री किशोरी लाल वर्मा	47
08	प्रकाश चन्द्र लोहनी	स्व0 श्री प्रेम बल्लभ लोहनी	49

2. पात्रता सूची के आरक्षित संवर्ग के अनुसूचित जाति वर्ग में क्रमांक-01 से 03 पर निम्नानुसार वरिष्ठता में अंकित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 उपयुक्त पाये गये एवं चयन कर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी :-

क्रमांक	कार्मिकों का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	रोस्टर क्रमांक
	अनुसूचित जाति वर्ग :-		
01	चिरंजी लाल	श्री मन्टू	21
02	नरेन्द्र कुमार	श्री किशोरी लाल	26
03	भूपाल राम	श्री देवराम	31

3. पात्रता सूची के आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमांक-01 पर निम्नानुसार वरिष्ठता में अंकित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 उपयुक्त पाये गये एवं चयन कर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी :-

क्रमांक	कार्मिकों का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	रोस्टर क्रमांक
	अनुसूचित जनजाति वर्ग :-		
01	बलवन्त सिंह राणा	श्री प्रसाद सिंह राणा	24

(12)

4. सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी रोस्टर के अनुसार क्रमांक 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47 एवं 48 रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नत किये जायेंगे।

5. आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी रोस्टर के अनुसार क्रमांक 21, 26, एवं 31 के रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नत किये जायेंगे।

6. आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी रोस्टर के अनुसार क्रमांक 24वें रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नत किये जायेंगे।

7. पात्रता सूची के क्रमांक–09 एवं 10 तक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के 25 प्रतिशत् अतिरिक्त पैनल के रूप में निम्नानुसार कार्मिकों को वरिष्ठता क्रम में उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया।

पात्रता क्रमांक	कार्मिकों का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
09	प्रताप सिंह बिष्ट	श्री धन सिंह बिष्ट
10	प्रथम सिंह वर्तवाल	श्री शिवराम सिंह वर्तवाल

क्रमांक–09 पर अंकित श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के विरूद्ध वर्तमान में अनुशासनिक जॉच प्रचलित है। उक्त कार्मिक का 25 प्रतिशत् अतिरिक्त पैनल के रूप में चयन इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया कि अनुशासनिक जॉच पर सक्षम अधिकारी से अनुकूल निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त ही पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी, तब तक चयन समिति का निर्णय बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा जायेगा।

8. पात्रता सूची के आरक्षित संवर्ग–अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत क्रमांक–04 पर अंकित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 का 25 प्रतिशत् अतिरिक्त पैनल के रूप में निम्नानुसार कार्मिक का वरिष्ठता क्रम में उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति हेतु चयन किया गया।

पात्रता क्रमांक	कार्मिकों का नाम	पिता/पति का नाम
04	मक्खन लाल	श्री दयाली राम

चयन वर्ष 2011–2012 (दिनॉक 01.07.2012 से 30.06.2012) के अन्तर्गत उक्त कार्मिकों का चयन मान्य होगा।

(पी0के0 गोयल)
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
एवं सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(बी0सी0 गर्ग)
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)
एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(राजेश्वर प्रसाद)
महाप्रबन्धक (प्रशासन) एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

(वाई0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0) एवं अध्यक्ष
चयन समिति,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

कार्यालय : 2678076
2672404
फैक्स : 0135-2672337
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 922 / अधि0अनु0 - प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 / 13 दिनांक 14 / 06 / 12

// कार्यालय-ज्ञाप //

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की दिनाँक 09.11.2011 को हुई बैठक में 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल के रूप में श्री प्रताप सिंह बिष्ट एवं श्री प्रथम सिंह बर्तवाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया था। श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के विरूद्ध अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने के कारण चयन समिति का निर्णय बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा गया था, जिस कारण उनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री प्रथम सिंह बर्तवाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 की इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2765/अधि0अनु0-प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1/42, दिनाँक 20.12.2011 के द्वारा सामान्य सवर्ग के अन्तर्गत पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर की गयी थी।

श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक जाँच के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 105/प्र0नि0कैम्प-गो0जॉ0 अल्मोड़ा मण्डल (मयूली पे0यो0)/12, दिनाँक 18.04.2012 के द्वारा श्री प्रताप सिंह बिष्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है।

शासनादेश संख्या 1595/कार्मिक-2/2002, दिनाँक 13.05.2003 के बिन्दु संख्या-7(क) के सन्दर्भ में **"ऐसे मामले में यदि लिफाफा में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे सन्दर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उससे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से प्रोन्नत माना जायेगा और तदानुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे,"** का प्राविधान है।

अतः उक्त शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर वेतनमान रू0 9300-34800+ग्रेड-पे 4200 (पुराना 5500-175-9000) में नोशनल पदोन्नति दिनाँक 20.12.2011 से करते हुए इनकी तैनाती तत्काल प्रभाव से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम अल्मोड़ा से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद पर जनहित में की जाती है।

श्री प्रताप सिंह बिष्ट को अपने तैनाती कार्यालय पर दिनाँक 22/06/2012 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नही है, उक्त दिनाँक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नही होगा। उक्त कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उ0पे0नि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा/नई टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
5. श्री प्रताप सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

कार्यालय : 2678078
: 2672404
फैक्स 0135-2672337
ई-मेल upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

(15)

पत्रांक 2785 / अधि0अनु0 – प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 /42 दिनांक 20 /12/11

// कार्यालय–ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सामान्य संवर्ग :–				
01	प्रथम सिंह बर्तवाल	श्री शिवराम सिंह बर्तवाल	निर्माण शाखा, उत्तरकाशी	यॉत्रिक मण्डल, देहरादून	जनहित
	अनुसूचित जाति वर्ग :–				
01	मक्खन लाल	श्री दयाली राम	निर्माण शाखा, गोपेश्वर	निर्माण मण्डल, गोपेश्वर	स्थानीय

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 26/12/2011 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं है, उक्त दिनॉक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

सामान्य संवर्ग के क्रमांक–01 पर अंकित कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती जनहित में होने के कारण, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमांक–01 पर अंकित कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नही होगा।

20/12/11
(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वैयक्तिक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उ0पे0नि0, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

20/12/11
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)
19/12

कार्यालय : 267607[redacted]
: 26724[redacted]

फैक्स 0135–2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड [redacted] संसाधन विकास एंव निर्माण निगम

प्रधा[redacted]य : 11–मोहिनी रोड, देहरादून

(25)

पत्रांक 2648 / अधि0अनु0 – प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 / 39 दिनांक 05/12/11

// कार्यालय–ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 (पुराना 5500–175–9000) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सामान्य संवर्ग :–				
01	रवीन्द्र प्रसाद जोशी	श्री मोहन चन्द्र जोशी	नि0शा0, पिथौरागढ़	नि0 मण्डल, पिथौरागढ़	स्थानीय
02	सुभाष सिंह खनका	श्री हीरा सिंह खनका	नि0शा0, कोटद्वार (सम्बद्ध नि0विंग हल्द्वानी)	मु0अभि0(कु0), नैनीताल	जनहित
03	बसन्त बल्लभ पाण्डे	श्री बी0डी0 पाण्डे	नि0शा0, चम्पावत	नि0 मण्डल, अल्मोड़ा	जनहित
04	मिलेश्वर प्रसाद बडोनी	स्व0 श्री पिताम्बर दत्त बडोनी	नि0शा0, नई टिहरी	नि0 मण्डल, नई टिहरी	स्थानीय
05	जगदीश चन्द्र वर्मा	श्री किशोरी लाल वर्मा	नि0शा0, उधमसिंहनगर	नि0 मण्डल, पौड़ी	जनहित
06	प्रकाश चन्द्र लोहनी	स्व0 श्री प्रेम बल्लभ	नि0शा0, बागेश्वर	नि0 मण्डल, नैनीताल	जनहित
	अनुसूचित जाति वर्ग :–				
01	चिरंजी लाल	श्री मन्दू	यॉत्रिक शा0, हल्द्वानी	यॉ0 मण्डल, देहरादून	जनहित
02	नरेन्द्र कुमार	श्री किशोरी लाल	नि0शा0, हरिद्वार	नि0 मण्डल, देहरादून	जनहित
03	भूपाल राम	श्री देवराम	नि0शा0, भिकियासैन	यॉ0 मण्डल, हल्द्वानी	जनहित
	अनुसूचित जनजाति वर्ग :–				
01	बलवन्त सिंह राणा	श्री प्रसाद सिंह राणा	नि0शा0, देवप्रयाग	मु0अभि0(गढ़0), पौड़ी	जनहित

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 15/12/2011 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं है, उक्त दिनॉक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त पदोन्नत जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा। स्थानीय पदोन्नति/तैनाती किये गये कार्मिकों को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।

5/12/11

(वाई0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वैयक्तिक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उ0पे0नि0, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)